UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal :

Political Science

Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 93-94
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Role and Status of Women in India

According India's constitution, women are legal citizens of the country and have equal rights with men. Because of lack of acceptance from the male dominant society, Indian women suffer immensely. Women are responsible for baring children, yet they are malnourished and in poor health. Women are also overworked in the field and complete the all of the domestic work. Most Indian women are uneducated. Although the country's constitution says women have equal status to men, women are powerless and are mistreated inside and outside the home.

DR. VANDANA M. MAHURE

Introduction :

In most of the human societies, social differentiation between the sexes, the male and female existed and in majority of them women were assigned an inferior position. In recent times in the socialist societies equality of status has been assigned to women, but it is often legal than existential. Thus women accounting for nearly one half of the human population live in perpetual subordination to the other half the men. Their condition remains unchanged even during the modern times with only little changes. In India, women were never given any right of liberty & equality. Their condition becomes even worse when they gave birth to girls. Men treated them in a humiliated manner. They were not only permitted not to step outside their house but also abstained from being educated. Traditionally, an Indian woman had four fold status-role sequences. These were her role as a daughter, wife, housewife, and mother. The woman, whose status and role traditionally was well defined and almost fixed in the society, is now experiencing far-reaching changes. The woman in modern times is entering into certain new fields that were unknown to the woman's sphere of role-sets. They are activating participating in social, economic, and political activities. The women of the present generation have generally received higher education than the women of their preceding generation. There have been far reaching consequences in the economic status of their families.

Women's Role in Society :

The modern women are inclined towards the social issues, and trying hard to improve the social status of women at large. Increased awareness and education has inspired women to come out of the four walls of the home. Many woman actively supported and participated in the nationalist movement and secured eminent positions and offices in administration and public life in free India. Traditionally Indian women exist because of the family and for the family.

Women's role in politics :

Education of women has not only helped them to become aware of the political problems, but they are gradually becoming active participants in the political life. Some women are attaining influential political stature of their own and have become instrumental in shaping the public opinion for the betterment of women's conditions in society.

Participation of Women in Socio-economic activities: The woman in modern times is entering into certain new fields that were unknown to the woman's sphere of role-sets. These are the woman's participation in economic, political, and social life. The modern woman keenly desires to enter into a work career because of the pressing economic needs of the family. In middle class families, much emphasis is given to the maintenance of high standard of living. To fulfill the economic needs of the family and to achieve higher standard of living the woman participates in economic activities.

Women equality is not universal: Women's equality in terms of education, employment, and power is still an individual rather than a universal achievement. The majority of our women are still content to accept an inferior status. This is by and large due to the fact that, although legally women have equal rights with men, there are not enough jobs for women and working women are not adequately protected from exploitation.

Unaware of their legal status: Women are generally not aware of the provisions related to the improvement of their own position. Even if they know about some of the provisions related to their rights of succession, marriage, or family, they do not desire to invoke them. Traditional dominance of the authority of the male parents, husband, and other elder members of the family often restricts the enjoyment of their legal rights by the women.

Rural women :

Gandhiji's vision that women must play an equal and important role in national development. However, the movement for raising the socio-economic status of women had involved generally the middle-class educated women in major urban centers while the great mass of rural women are

Assistant Professor and Head (Department of Political Science), Deogiri College, Aurangabad (Maharashtra)

yet to enjoy the rights and privileges as enshrined in the Constitution.

Women status in India :

According India's constitution, women are legal citizens of the country and have equal rights with men. Because of lack of acceptance from the male dominant society, Indian women suffer immensely. Women are responsible for baring children, yet they are malnourished and in poor health. Women are also overworked in the field and complete the all of the domestic work. Most Indian women are uneducated. Although the country's constitution says women have equal status to men, women are powerless and are mistreated inside and outside the home.

Women status in the ancient India :

It's said during the ancient India, women enjoyed equivalent status & rights like their males counterparts. In addition they were properly educated in the early Vedic period. These references are available from the works of Grammarians such as Katyayana and Patanjali. Women also had the freedom to select their husbands. This system was known as 'Swayamvar.' In fact during this time, women had superior position than the males.

Women status in medieval India :

The status of women in India deteriorated during the medieval period with the entrance of the Muslims. Several evil practices such as female infanticide, sati and child marriage were practiced during this period. 'Purdah' was introduced to the society. Women also excelled in literature, music and arts. They were also rulers during this period. Some great-women rulers were Razia Sultana who was the only women-monarch to-rule-the throne of Delhi, Nur Jahan, Gond queen Durgavati who ruled for fifteen years before she was defeated in a battle by Ali emperor Akbar's. Nur Jahan is still considered as the most effective ruler by the society. In spite of these powerful women, the condition of poor women remained the same. At this time girl were forced to get married at a very tender age.

Women status in modern India :

During this time there was a little development in the women status. There were many women reformers in India who worked for the uplift & betterment of their female counterparts. The begun of Bhopal discarded the 'purdah' & fought in the revolt of 1857. Their education was elevated and English was introduced during this period. Various female writers emerged in the society. In the modern time, women in India were given freedom & right such as freedom of expression & equality as well as the right to be educated. Various prestigious positions at this period were held by women. They're enjoying the 'ladies first' facility in different fields. However, some problems such as dowry, domestic violence, sex selective abortion, female infanticide are still prevalent.

The Status of women - The Political Context :

The status of women towards the last part of the British rule in India that is in the first quarter of 19 Century, some remarkable social changes took place.Law relating to Abolition of Sati in 1829, suppression of Female Infanticide etc., were the steps taken towards liberation of women. The social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, M.G. Ranade Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Dr. Anne Besant, Sister Nivedita contributed significantly to the social reform movement in India, and aimed at liberating women by fighting against social evils like sati, purdah, child marriage, female infanticide, prevention of widow remarriage, devadasi system etc. The Indian nationalist movement under Gandhiji's leadership contributed towards a significant change in the prevailing attitude towards women. A series of laws like Child marriage Restraint Act, Hindu Women's Right to Property, Widow Remarriage Act and several other laws regulating the fixation of working hours and working conditions were passed. This provided an opportunity for the women to participate in politics and several other fields.

Indian Independence in 1947 has marked a major step in the march towards improvement of social status of women and also in the process of development of women. As India emerged as a Sovereign Democratic Republic in 1950, it provided a strong judicial base to the status of women at par with men in the male dominated society. The constitution of India which came into effect on 26 January 1950, guaranteed to every citizen men or women, some basic Fundamental Rights which emphasized “equality of status and of opportunities and also enumerated the principles of welfare state in its Directive principles, of state policy. The Part III of the constitution includes Articles 14, 15 and 16(2) 21, 23 39(a), 39(d), 39(e) etc. prescribe equal treatment for both men and women in all economic and social activities including educational and cultural activities. The Directive principles as enumerated in part IV of the Indian Constitution provide the base for equality of women in India.

Conclusion :

Educated women are just on the threshold of transition from tradition to modernity. The women themselves desire that their status and position in society should rise higher. Though a proper climate for such a change is still wanting, yet there have been many structural and statutory innovations for the improvement of their position. The traditional status and role sets of women are breaking up and new role-sets based on achievement, independence and equality are gradually coming up.

***References* :**

(1) *Ganesamurthy, V. S. (2008) : Empowerment of women in India: social, economic and political. New Delhi: New Century Publications.* ***(2)*** *Shukla, A. Kumar (2000) : Women in India Politics: Empowerment of Women through Political Participation. New Delhi: Gyan Publishing House.* ***(3)*** *Kak, Manju and Prajnashree Tripathy (2007) : Whose Media? a Woman's Space. New Delhi: Concept Publishing House.* ***(4)*** *Bjorkert, S. Thapar (2006) : Women in the Indian National Movement: Unseen Faces and Unheard Voices, 1930-42. New Delhi: SAGE.* ***(5)*** *Mishra, R.C. (2006) : Women in India : towards gender equality New Delhi Authors press. Omen T.K. and Venugopal C.N. (1993) : Sociology Eastern Book Company, Lucknow.* ***(6)*** *Kakar S. (1995) : Indian childhood cultural ideals and social reality New Delhi Oxford University Press.* ***(7)*** *Htpp/ www.womeninindia.com*

☸☸

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : **Political Science**
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 95-96
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

अनुसूचित जाति के अधिकारों की स्थिति : हरिद्वार जनपद के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में अनुसूचित जाति के अधिकारों की स्थिति का हरिद्वार जनपद के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति प्राचीन काल से ही अस्पृश्य एवं शोषित रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारतीय समाज में उत्तरोत्तर परिवर्तन के परिणामस्वरुप संविधान निर्माताओं ने इन जातियों को संविधान में सुरक्षा का संरक्षण प्रदान किया है। अध्ययन हेतु जनपद हरिद्वार में निवास करने वाली अनुसूचित जाति को शोध की जनसंख्या माना गया है। जनसंख्या से 300 उत्तरदाताओं का प्रतिदर्श सामाजिक अनुसंधान की सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है। इन 300 उत्तरदाताओं से संरक्षित अनुसूची के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करके सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष ज्ञात किया गया तथा पाया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता में वृद्धि तो हुई है, किन्तु अधिकारों के क्रियान्वयन में ये जातियाँ अभी भी पिछड़ी हुई हैं।

डॉ.शशी प्रभा

प्रस्तावना :

भारत में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति, शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा 1935 में किया गया था, जोकि अस्पृश्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के माध्यम से, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने के लिए विशिष्ट जातियों का उल्लेख करता है। भारत का राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से सलाह करके एक विशिष्ट जाति को अनुसूचित जाति अधिसूचित करता है तथा अनुसूचित जाति के इस समावेश को संसद प्रख्यापित करती है। 1950 से 1978 के मध्य राष्ट्रपति के विविध आदेशों द्वारा देश में विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों की वैधानिक सूचियाँ अधिसूचित, परिष्कृत एवं संशोधित हुई है। वर्तमान में 1,231 जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में सम्मिलित किया गया है (थोरात, सुखदेव, 2011)।

संविधान में अनुसूचित जातियों की कोई परिभाषा नहीं है, किन्तु राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गयी है कि वह राज्यपाल से परामर्श करके सूची बनाये। संसद इस सूची का पुनरीक्षण कर सकती है (बसु, आचार्य दुर्गादास, 2006)। सामान्य तौर पर अनुसूचित जातियों को निम्न बिन्दुओं के आधार पर पहचान सकते हैं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा, यदि वह उस जाति का है, जिसे उस क्षेत्र के लिए जिसका वह निवासी है, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित आदेश में अनुसूचित जाति घोषित किया गया है।

(2) किसी भी व्यक्ति को, जो हिन्दू, बौद्ध या सिख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का पालन करता है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।

(3) अनुसूचित जाति के माता–पिता की सन्तानें, यदि वे उसी क्षेत्र में रह रही हैं, स्वतः ही अनुसूचित जाति की हो जाएंगी।

(4) एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक गैर–अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाह करने के उपरान्त भी अनुसूचित जाति का ही रहेगा।

(5) ऐसे माता–पिता की सन्ताने, जिनमें से एक गैर–अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति की प्रस्थिति के हकदार होंगे।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर भारत में अनुसूचित जाति की सूचियाँ तैयार की गयी हैं। इन सूचियों में शामिल लोगों को, संविधान में वर्णित संरक्षण के उपायों द्वारा विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती है और इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, चूँकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, यहाँ भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएँ पायी जाती है। जिस कारण अलग–अलग क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति की स्थिति में परिवर्तन विभिन्न आधारों पर होता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान किये है (सिंह, महेन्द्र प्रसाद, 2011)। इन प्रावधानों के अनुरूप समय समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ बनायी गयी तथा अनेक कार्यक्रम चलाये गये। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन में सरकार के द्वारा समुचित धन का प्रावधान किया गया। ऐसे में प्रश्न आता है कि पिछले 67 वर्षों के प्रयासों के बावजूद क्या अनुसूचित जाति को उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित हो पायी

प्रोफेसर एवं प्राचार्या, महिला विद्यालय स्नातकोत्तर कॉलेज, सतीकुण्ड, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

है? क्या समाज में उनके स्तर में वृद्धि हो पायी है? इन प्रश्नों का उत्तर तलाशना आवश्यक है, ताकि वस्तुस्थिति का पता चल सके और आगामी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। प्रस्तुत शोध अध्ययन में पूर्वोक्त प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध में हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अतः शोध को आगे बढ़ाने से पूर्व अध्ययन क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना उपयुक्त रहेगा।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) अनुसूचित जाति के अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।

(2) हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति का पता लगाना।

(3) हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जाति के अधिकारों का अध ्ययन करना।

शोध की परिकल्पना :

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों को निम्नलिखित परिकल्पनाओं के परीक्षण के माध्यम से प्राप्त किया गया है :

(1) स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है।

(2) स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

(3) स्वाधीनता के पश्चात् अनुसूचित जाति के लोग अपने अध ि ाकारों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग कर रहे है।

शोध पद्धति :

प्रस्तुत शोध उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के जनपद हरिद्वार में सम्पन्न किया गया है। इसके लिए सामाजिक अनुसंध ाान की सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार के छः विकासखण्डों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति को शोध की जनसंख्या के रूप में चयनित किया गया है।

चयनित जनसंख्या से दैव निर्दशन पद्धति के द्वारा संरचित अनुसूची के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करने के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार से 300 अनुसूचित जाति के लोगों को प्रतिदर्शन के रूप में लिया गया। तत्पश्चात् संरचित प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया गया। प्राथमिक स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए सारणीयन किया गया। सूचनाओं को व्यवस्थित एवं क्रमबन्ध करने के बाद सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए विश्लेषण किया गया तथा निष्कर्ष स्थापित किए गए हैं, जिसका विवरण निम्न है (प्रसाद, लोकेश, 2008) :

परिणाम :

जनसाधारण उत्तरदाताओं से सूचनाओं के विश्लेषण के आध ाार पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं :

(1) उत्तरदाताओं से सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं का बड़ा भाग 30 से 60 वर्ष आयु वर्ग एवं शिक्षित वर्ग से सम्बन्धित है। अधिकांश उत्तरदाता निम्न– मध्यम आय वर्ग से सम्बन्धित हैं।

(2) अधिकारों की जानकारी के सम्बन्ध में हरिद्वार जनपद के 86.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने अधिकारों की जानकारी है।

(3) अधिकारों के प्रयोग की स्थिति के सम्बन्ध में हरिद्वार जनपद के 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने अधिकारों के प्रयोग की बात को स्वीकार किया, जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाता अधिकार के प्रयोग की बात अस्वीकार करते हैं।

(4) विगत दशकों में अनुसूचित जाति की सामाजिक दशा के विषय में हरिद्वार जनपद से 69 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि विगत दशकों में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 41 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि विगत दशकों में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

निष्कर्ष :

(1) अधिकारों की जानकारी के सम्बन्ध में हरिद्वार जनपद से उत्तरदाताओं का अधिकांश भाग अपने अधिकारों की जानकारी रखता है। (2) अधिकारों के प्रयोग की स्थिति के सम्बन्ध में जनपद हरिद्वार से अनुसूचित जाति का बड़ा भाग अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। (3) विगत दशकों में अनुसूचित जाति की सामाजिक दशा में सुध ाार के सम्बन्ध में हरिद्वार जनपद से अनुसूचित जाति का बड़ा भाग मानता है कि अनुसूचित जाति की सामाजिक दशा में सुधार आया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति के अधिकारों के प्रति अनुसूचित जाति में जागरूकता आयी है तथा संवैधानिक प्रावधानो द्वारा दी गयी संरक्षण व्यवस्था के परिणामस्वरूप शोषित अनुसूचित जाति ने अपने को समाज में उच्च पायदान पर लाने के लिए निरन्तर प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से वर्तमान समय तक निरन्तर बदलाव आया है और अनुसूचित जाति सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से मजबूत हुई है, लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि अनुसूचित जाति ने संविधान निर्माताओं की अपेक्षा के अनुरूप स्थान प्राप्त नहीं किया है। अभी भी अनुसूचित जाति के सभी लोग अपने आपको मुख्य धारा में लाने में असफल रहे है इस असफलता के पीछे चाहे कारण शासन की नीति या स्वयं इन लोगों की अक्षमता रही हो। यह अलग शोध का विषय है।

संदर्भ **:**

(1) आहूजा, राम (2012) : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0सं0 322.

(2) थोरात, सुखदेव (2011) : भारत में दलित (सामान्य लक्ष्य की खोज), रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0सं0 2.

(3) बसु, आचार्य दुर्गादास (2006) : भारत का संविधान एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, पृ0सं0 402.

(4) नवानी, लोकेश एवं रावत, कल्याण सिंह (2006) : उत्तराखण्ड इयर बुक, विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून, पृ0सं0 46.

(5) प्रसाद, लोकेश के0, (2008) : अनुसंधान पद्धति शास्त्र कब कहाँ और कैसे, कावेरी, बुक्स, नई दिल्ली, पृ0सं0 231.

(6) सिंह, महेन्द्र प्रसाद (2011) : भारतीय शासन एवं राजनीति, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ0सं0 406.

❁❁

UGC Approved Journal
Research Link

Since March 2002

An International, Registered & Refereed Monthly Journal : **Political Science**
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 97-99
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

स्वतंत्र भारत में स्थानीय व ग्रामीण शासन

प्रस्तुत शोधपत्र में स्वतंत्र भारत में स्थानीय व ग्रामीण शासन का राजनैतिक अध्ययन किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् किस प्रकार भारत में स्थानीय व ग्रामीण शासन संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया और समय के साथ-साथ इस दिशा में आम नागरिक जनप्रतिनिधियों, नेताओं और नीति निर्माताओं की रुचि बढ़ती गई और किस प्रकार एक संवैधानिक आधार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय के साथ इन संस्थाओं की अनुभूति होने पर इन संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। शोध पत्र का उद्देश्य इस दिशा में जो भी निरंतर प्रयास व प्रगति हुई है, उसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

डॉ.तृप्ति नामदेव

भारत की अधिकतम जनसंख्या गाँवों में रहती है। अतः भारत गाँवों का देश हैं। गाँव की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति उल्लेखनीय है कि यदि गाँव नष्ट होते हैं, तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं रहेगा और विश्व में उसका संदेश समाप्त हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भलिभांति परिचित थे। अतः हमारी स्वाधीनता को साकार करने और उसे स्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण और विकास के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा, जिससे कि वे स्वशासन की ईकाई के रूप में कार्य कर सकें, क्योंकि भारत में जनतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीणजनों का शासन से कितना प्रत्यक्ष और सजीव संपर्क हो पाता है। इस दृष्टि से ग्रामीण समाज के लिए पंचायती राज ही एक मात्र उपयुक्त योजना है। यही अब हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है।

स्वतन्त्र भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के नए युग का आरम्भ हुआ था। 1948 में केन्द्रीय स्वायत्त शासन मंत्री की पहल पर राज्यों के स्वायत्त शासन मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा स्थानीय स्वायत्त शासन किसी भी सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और होना चाहिए। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है कि हम उच्च स्तर पर ही लोकतांत्रिक की बात सोचते हैं, निम्न स्तर पर नहीं, किन्तु यदि नीचे से नींव का निर्माण न किया गया, तो संभव है कि लोकतंत्र सफल न हो सके। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा अपनाया गया है, उसे मूल रूप से ब्रिटिश शासन की देन माना जाता है। स्थानीय स्वशासन को नगरीय व ग्रामीण दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं नगर निगम या नगर परिषद या नगर क्षेत्र, समितियाँ, छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास व पोर्ट ट्रस्ट आदि हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ हैं – पंचायतें, पंचायत समिति तथा जिला परिषद।

26 जनवरी 1950 को भारत में नव–निर्मित संविधान प्रवर्तित हुआ। संविधान में स्थानीय शासन को राज्यों की कार्य सूची के अन्तर्गत रखा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि – राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का इस ढंग से संगठन करे कि वे स्वशासन की ईकाइयों के रूप में कार्य कर सके।

शासन का स्वरूप :

आज भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की जो व्यवस्था विद्यमान है, उसका श्रेय बलवन्त राय मेहता समिति को जाता है, जिनकी अध्यक्षता में सामुदायिक प्रयोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का इस अध्ययन दल द्वारा दी गई संस्तुतियों के आधार पर 02 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया।

इस अध्ययन दल समिति का प्रतिवेदन पंचायती राज के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व रखता है, क्योंकि मेहता प्रतिवेदन में जो आधारभूत सिद्धान्त और संस्थाओं का स्वरूप निश्चित किया गया था, उसका परित्याग नहीं किया गया है।

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् स्थापित स्थानीय स्वायत्त शासन का स्वरूप सामान्यतः उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्हें मेहता समिति ने दिया था। इन सिद्धांतों के अनुरूप भारत में विभिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन व स्वरूप के थोड़े बहुत अन्तर के साथ 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप स्थापना की गई, जिस त्रिस्तरीय संरचना का स्वरूप क्रमशः ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यद्यपि राजस्थान को ही वह पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसने अपने यहा पंचायती राज की स्थापना की। राजस्थान विधान सभी द्वारा सितम्बर 1959 में राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया।

व्याख्याता (राजनीति विज्ञान विभाग), राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़ (राजस्थान)

वस्तुतः इन संस्थाओं ने विभिन्न स्तरों पर कार्य आरम्भ कर दिए और इन संस्थाओं के पहले चुनाव सितम्बर–अक्टूबर 1959 में सम्पन्न हुए। कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1977–78 अनुसार पंचायती राज के अन्तर्गत अब मेघालय, नागालेण्ड और बिहार के 31 जिलों में से 23 को छोड़कर सभी राज्य है। मिजोरम, पाण्डिचेरी तथा लक्षद्वीप को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रशासित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें हैं। अरूणाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली वाली पंचायती राज व्यवस्था है। इस समय भारत में 222055 ग्राम पंचायते हैं, जिनके अन्तर्गत लगभग 41 करोड़ जनसंख्या सम्मिलित है। इसके अलावा 4028 पंचायत समितियाँ और 262 जिला परिषद है। स्थानीय शासन के संगठन में जैसा कि उपर विवेचन किया गया है, सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत इसके उपर खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और इसके उपर जिला स्तर पर जिला परिषद होती है।

स्थानीय स्वायत्त शासन अपनाये जाने के सिद्धान्त :

स्थानीय स्वायत्त शासन के स्वरूप का सही चित्रण पाने हेतु यह जानना आवश्यक है कि आखिर किन सिद्धान्तों पर देश में स्थानीय स्वायत्त शासन अपनाया गया है। इन सिद्धान्तों को भारत सरकार के सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग के एक प्रकाशन में निम्नवत प्रस्तुत किया गया है :

(1) भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सत्ता को दिल्ली की लोकसभा अथवा राज्यों के विधान मण्डलों तक ही यदि सीमित रखा जाता तो देश पनप नहीं सकता, अतः आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर गाँव से जिला और स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाए। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिससे देश का हर गाँव और गाँव का हर परिवार दिल्ली लोकसभा से जुड़ जाएगा।

(2) पंचायती राज की संस्थाएँ सामुदायिक विकास की एजेन्सी बने, सहकारिता को प्रोत्साहन दे, स्वयं की कोई नीति न बनाकर सरकारी नीति को अमल में लाए।

(3) सरकार अपने कुछ कामों का दायित्व ऐसी संस्थाओं को सौंप दे, जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए स्वप्रेरणा से काम ले। इसके लिए उन्हें समुचित अधिकार प्रदान किए जाएं।

(4) संस्थाओं में कार्य करने के लिए इतने साधन और नियंत्रण के इतने अधिकार दिए जाएं कि सौपें गए कार्यों को समुचित रूप से कर सकें।

(5) इस प्रकार की व्यवस्था बनायी जाए कि भविष्य में अधिकार सौंपने में सुविधा हो।

इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात इस काल में यह स्पष्ट था कि लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा तभी संभव है, जब समाज सुखी व समृद्ध हो। भारत की समृद्धि, स्वावलम्बन तभी संभव है, जब देश के ग्राम उन्नत हो, समृद्ध हो और वह विकास की आधारभूत कड़ी बना पाए। स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएँ मात्र प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम ही नहीं हो, वरन् कुशल कार्यकरण द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तंत्र निर्मित कर सकें तथा स्वतन्त्रता व स्वराज की वास्तविकता को सार्थक करने वाला अभियंत्र बन सके। ऐसी अपेक्षाएँ की गई थी, किन्तु स्वतंत्रता पश्चात् उत्पन्न उनकी ये अपेक्षाएँ पूर्णतः फलीभूत न हो सकी। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को गतिशील बनाने हेतु समय–समय पर विविध समितियों की नियुक्ति व उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों, आयोजित राष्ट्रव्यापी विचार–विमर्श के बाद इस दिशा में सार्थक प्रयत्न 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत की ग्रामीण तथा नगरीय दोनों स्तरों पर, स्थानीय शासन की वर्तमान व्यवस्था इन्हीं दो संशोधनों पर आधारित है। वस्तुतः विकास के विविध पड़ावों के पश्चात् स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु विशाल क्षेत्र ही नहीं, वरन् नवीन स्वरूप प्रदान किया गया।

राजस्थान में क्रियान्वयन :

राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ पंचायती राज संस्थाओं को सर्वप्रथम स्थापित किया गया। राज्य में इन संस्थाओं का गठन वस्तुतः स्वातंत्रयोत्तर काल में ही हुआ। 1953 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बना, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के गठन का प्रावधान था। बलवन्त राम मेहता समिति 1957 के सुझावों एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान पहला राज्य था, जिसने स्थानीय स्वायत्त शासन के गठन में देश में पहल की। 02 अक्टूबर 1959 को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सपने को साकार करने के उद्देश्य से राजस्थान में पंचायती राज का श्री गणेश हुआ। नागोर में इसका शुभारम्भ करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इसे नये भार के सन्दर्भ में एक महान क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक कदम बताया था। गाँधीजी ने जो ग्राम स्वराज का स्वप्न संजोया था, वह भी इसी अवधारणा पर आधारित था कि दरिद्र नारायण की जब तक शासन में भागीदारी नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की जड़े मजबूत नहीं हो सकती। पंचायती राज के अभाव में राजतंत्र आधारहीन ही रहेगी। मेहता समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए केवल 1953 के पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया, वरन् खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर भी स्थानीय स्वायत्त शासन कायम करने की दृष्टि से एक और अधिनियम राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 पारित किया गया। इस प्रकार 1960 के दशक में ही राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रवर्तन के साथ ही राज्य में प्रवर्तित सभी पंचायती राज अधिनियम निरस्त हो गए हैं और अब जिला परिषद की संरचना राज्य में इस नए अधिनियम के प्रावधान से शासित होती है। अतः हम यहाँ पर जिला परिषद का संगठन प्रस्तुत ग्राफ द्वारा समझ सकते हैं।

नवीन पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 57,58,59,60 में जिला परिषद के अन्तर्गत स्थायी समितियों की व्यवस्था की गई है। जिला परिषद कार्य संचालन, सुगमता पूर्वक कर सके, इस हेतु जिला परिषद की स्थायी समितियों के गठन के प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक समिति का भी गठन कर सकती है। जिला परिषद की प्रशासनिक शाखा का अध्यक्ष मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को बनाया गया है। अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सरकार प्रत्येक जिला परिषद के लिए मुख्य लेखाधिकारी भी नियुक्त करेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला परिषद में सरकार इतने अधिकारी पदस्थापित करेगी, जितने वह आवश्यक समझे। इस सन्दर्भ में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के

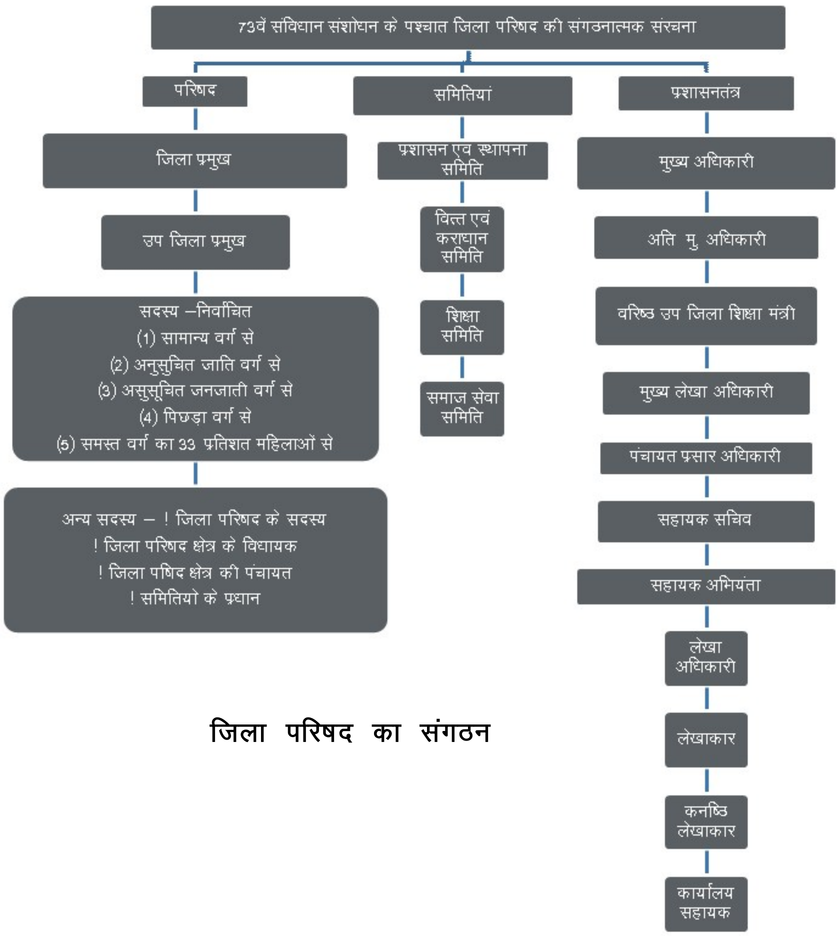

जिला परिषद का संगठन

लिए जिला परिषद में विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसी के साथ जिला परिषद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगी।

73वें संविधान संशोधन के पश्चात जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। नये अधिनियम के अनुसार जिला परिषद प्रत्येक रूप से चयनित संस्था होगी। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा व्यापक परिवर्तन करते हुए जिला परिषद को नवीन उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं। जिला परिषद को जिला स्तर पर पर्यवेक्षक व समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी है।

जिला स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारी अभिजातीय मनोविज्ञान से ग्रस्त रहे हैं। अतः आवश्यक है कि ये सभी अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था में स्थित लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना के अनुरूप ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें। जिला स्तर के पदाधिकारियों में उचित सामांजस्य का अभाव है। अतः यह भी आवश्यक है कि पदाधिकारी अपनी भूमिका में स्वसुधार हेतु प्रेरित हो। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में जिला स्तर पर जिला परिषद को पर्यवेक्षक, समन्वयक व गत्यात्मक निकाय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, जिसका सक्षमता व कुशलता पूर्वक सम्पादन कर स्थानीय प्रशासन के पूर्वजीवित स्वरूप का निष्पादन किया जा सकता।

यदि हम 73वें संविधान की विशेषताओं का अवलोकन करें, तो यह भली–भांति स्पष्ट हो जाता है कि इन संस्थाओं को पर्याप्त रूप से अधिकार सम्पन्न बनाने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु वित्तीय दृष्टि से भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि ये संस्थाएँ किसी भी प्रकार से राज्य सरकार पर निर्भर न रहें और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की क्रियान्विती अपने स्तर पर भली–भांती कर सकें।

प्रस्तुत शोध पत्र में यह बताने का प्रयास किया है कि स्वातन्त्रता के उपरान्त किस प्रकार भारत में पंचायती राज संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया और समय के साथ–साथ इस दिशा में आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, नेताओं और नीति निर्माताओं की रूचि बढ़ती गई और किस प्रकार एक संवैधानिक आधार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। यह स्पष्ट किया गया है कि समय के साथ इन संस्थाओं की अनुभूति होने पर इन संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। इन दिशा में जो निरन्तर प्रगति व प्रयास हुए है, उसी के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है।

अतः आवश्यकता है कि स्थानीय स्वशासन में इन संस्थाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान तक के जो भी उतार–चढ़ाव हैं, उनके अनुभवों से सबक सीखते हुए इनसे जुड़े प्रतिनिधियों को निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं की संस्थाओं का मूल उद्वेश्यों, ग्रामीण विकास के प्रयासों एवं जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना है। पंचवर्षीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को सुलझाने के लिए भी इन संस्थाओं का बड़ा महत्व है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंचायती राज की संस्थाओं की सफलता पर ही बहुत कुछ भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य भी निर्भर करता है।

सन्दर्भ :

(1) माहेश्वरी, एस. आर. (1990) : भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण प्रकाशन, आगरा, पृ.23.

(2) भारत का संविधान, अनुच्छेद 40.

(3) पाटनी, चन्द्र (2006) : ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, पृ.162.

(4) कटारिया, सुरेन्द्र (2007) : पंचायती राज संस्था, अतीत वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ.163.

(5) शर्मा, डॉ. के.के. (2002) : भारत में पंचायती राज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ. 132.

(6) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 52.

❁❁